स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com Website: www.swayamsevi.com

क्रमांक : स.से.शि.सं.सं.रा./ /2016 दिनांक : 18.02.2016

स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ की कार्यकारिणी की अत्यावश्यक बैठक **रविवार दिनांक 28 फरवरी 2016 को प्रातः 11 बजे, आर्य समाज राजापार्क, जयपुर** के सभागार में आयोजित की जायेगी। बैठक में निम्न लिखित विषयों पर विचार कर प्रांतव्यापी आन्दोलन की रुपरेखा तैयार की जायेगी।

1. **राजस्थान सरकार द्वारा महाराष्ट्र विधेयक के अनुसार विधानसभा में नया विधेयक लाने पर विचार** – समस्त समाचार पत्रों से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में महाराष्ट्र शिक्षा विधेयक के अनुसार विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है यह विधेयक बहुत खतरनाक है और हमने सरकार को लिखित में विरोध पत्र भी दे दिया है जिसकी जानकारी आपको वाट्स अप पर भेज दी गई थी इस विधेयक के अनुसार फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी गठित होगी जिसमें 5 अभिभावक सदस्य, 3 अध्यापक, 1 प्राचार्य और 1 प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष। इस प्रकार विद्यालय का सारा प्रबन्ध, प्रबन्ध समिति से छीन कर उक्त कमेटी को दे दिया गया है और संचालन में प्रबन्ध समिति की कोई भी भूमिका नहीं होगी।

   गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 जब पारित हुआ तो निजी शिक्षण संस्थाऐं सोती रहीं और पारित होने के बाद उग्र आन्दोलन करना पड़ा और इस आन्दोलन के कारण संस्थाओं का अस्तित्व बच पाया। इसी प्रकार जब फीस नियंत्रण कमेटी के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत हुआ उस दिन हमने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया परंतु विधानसभा में एक विधायक मानक चन्द सुराना को छोड़कर किसी ने हमारा पक्ष नहीं लिया और यह प्रस्ताव सर्व सम्मिति से विधानसभा में पारित हो गया। फीस नियंत्रण कमेटी ने भी निजी शिक्षण संस्थाओं के अस्तित्व को समाप्त करने का षड़यंत्र किया और संघ ने लाखों रुपये खर्च करके राजस्थान उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी कराई ।

   अब महाराष्ट्र के शिक्षा विधेयक के अनुसार राजस्थान सरकार विधेयक पारित कराने जा रही है परन्तु निजी शिक्षण संस्थाएं अभी भी सोई हुई हैं और कहीं से विरोध का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है यह अकर्मण्यता निजी संस्थाओं के लिए अत्यंत घातक होगी। अतः इसके विरोध में संगठित होकर प्रांत व्यापी आन्दोलन आयोजित करना होगा और आगामी विधानसभा सत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा।

2. **ई.एस.आई. एवं नगरीय विकास कर पर विचार** – ई.एस.आई. व नगरीय विकास कर की नीति से आर्थिक दृष्टि से जर्जर संस्थाओं का अस्तित्व संकट में आ गया है अतः इसके विरोध में हमें जबरदस्त जन प्रदर्शन करना होगा।

3. आगामी सत्र से राजस्थान सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन कर दिया है और इस सत्र तक एन.सी.ई.आर.टी. की जो पुस्तकें निर्धारित थी उन्हें हटा दिया गया है इससे संस्थाओं और विद्यार्थियों का भंयकर अहित हुआ है। एन सी ई आर टी की पुस्तकों के कारण शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीय स्तर पर समान शिक्षा पद्धति प्रारम्भ हुई थी और राजस्थान के विद्यार्थी देश के किसी भी भाग में प्रवेश ले सकते थे। इसके अतिरिक्त एन सी ई आर टी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राजस्थान बोर्ड के छात्र काफी संख्या में उतीर्ण होते थे। एन.सी.ई. आर.टी. की पुस्तकों के कारण राजस्थान बोर्ड के विद्यालय सी बी एस ई स्कूलों के स्तर पर आ गये थे। पाठ्यपुस्तकें बदलने से राजस्थान बोर्ड से सम्बन्ध विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या और भी कम हो जायेगी और संस्थाओं को आर्थिक हानि होगी। एन सी ई आर टी की किताबों के कारण राजस्थान बोर्ड के सरकारी विद्यालयों में विद्यर्थियों की संख्या वर्तमान संत्र में 8 लाख बढ़ गई थी। संघ ने पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन का

विरोध किया है और टाईम्स आफ इंडिया जैसे बडे समाचार पत्रों में जबरदस्त आलोचना की और संघ के प्रतिवेदन पर मानव संसाधन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है। राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल के नई पुस्तकों के प्रकाशन में 300 करोड़ खर्च किये है और 50 करोड़ की एन सी ई आर टी की पुस्तकें 5 लाख रुपये में रददी में बेच दी है यह गरीब जनता के धन का दुरुपयोग है और शिक्षा राज्यमंत्री की मानसिक संर्कीणता का द्योतक है। विश्व प्रसिद्ध कवियों, साहित्यकारों और क्रंतिकारियों को पाठ्यपुस्तकों से हटा कर हेमुकालानी और टेउमल को पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया जा रहा है।

4. निजी शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहयोग – राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता की आय 5000 रुपये से भी कम है और राजस्थान की निजी शिक्षण संस्थाएं समाज के इस वर्ग बच्चों को उत्कृष्ठ शिक्षा दे रहीं है और उनसे प्राप्त फीस से जो शिक्षकों को वेतन देना पड़ता है वह नरेगा के मजदुरों से भी कम है दिल्ली की आप सरकार ने शिक्षा का बजट दुगना कर दिया है और हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार भी शिक्षा का बजट दुगुना करके राजस्थान की निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन के लिए आर्थिक सहयोग दें।

अतः आपसे आग्रह है कि स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ की कार्यकारिणी की अत्यावश्यक बैठक में **रविवार दिनांक 28 फरवरी 2016 को प्रातः 11 बजे, आर्य समाज राजापार्क, जयपुर** में पधारने का कष्ट करें।

(सत्यव्रत सामवदी)	(श्रीराम डंगायच)	(एल.सी. भारतीय)	(किशन मित्तल)
अध्यक्ष	महामंत्री	अध्यक्ष जयपुर	मंत्री
9829052697	9414040533	9829061123	9829523349